

प्रेस नोट

जोधपुर आयुक्तालय सीमा में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिकोण से धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है। जोधपुर आयुक्तालय के थाना क्षेत्र पुलिस थाना कूडी भगतासनी, प्रतापनगर, देवनगर एवं नागौरी गेट के क्षेत्र में पूर्णतया आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, शहर के शेष भागों के लिए अति आवश्यक परिस्थितियों में पास धारकों के आवागमन हेतु निम्न रूट हैं जिनसे समस्त पास धारक आ जा सकेंगे।

1. सुरसागर :- जोधपुर शहर से सुरसागर क्षेत्र के लिए शहर से जालोरी गेट, 5 वी रोड, सिवांची गेट, चांदपोल होते हुए सुरसागर की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।
2. पावटा, महामन्दिर व किशोर बाग क्षेत्र :- जोधपुर शहर से नई सड़क, पावटा, खेतसिंहजी का बंगला, भदवासिया, किशोर बाग, मण्डोर की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।
3. रिक्तियां भैरुजी चौराहा, अमृतादेवी से झालामण्ड व चौ.हा.बोर्ड क्षेत्र :- जोधपुर शहर से रातानाडा, पांचबत्ती अरोडा सर्कल रिक्तियां भैरुजी चौराहा, अमृता देवी पार्क चौराहा, कृषि मण्डी मोड, झालामण्ड गांव, दाउजी की होटल, एम्स रोड, सीएचबी. मोड नहर चौराहा हा.बोर्ड की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।
4. सर्किट हाउस, रातानाडा, एयरफोर्स, शिकारगढ, शास्त्री नगर, पावटा क्षेत्र :- जोधपुर शहर से शास्त्रीनगर एवं भगत की कोठी जाने के लिए पावटा, सर्किट हाउस, रातानाडा, पांच बत्ती चौराहा, रिक्तियां भैरुजी चौराहा, भगत की कोठी व रोटरी चौराहा होते हुए शास्त्री नगर एवं शास्त्री नगर से पावटा के लिए रोटरी चौराहा रिक्तियां भैरुजी से अरोडा सर्किल, आठखम्बा चौराहा, शिकारगढ, रातानाडा भाटी चौराहा सर्किट हाउस, पावटा की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।

नोट :- एम्बुलेंस के लिए जोधपुर शहर के सभी मार्ग आने व जाने के लिए खुले रहेंगे एवं किसी भी आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस, चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, फायर बिग्रेड को सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आने व जाने के लिए प्राथमिकता देते हुए उन्हें नहीं रोका जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं के लिए जोधपुर आयुक्तालय के सभी मार्ग खुले रहेंगे।

ओर से

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर शहर